

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 02.06.2025

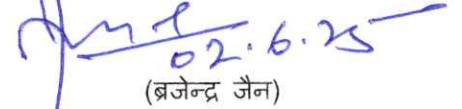
::अधिसूचना::

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान राज्य में दिनांक 05.08.2023 से नये जिलों के सृजन एवं पुनर्गठन के कारण, सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये सेशन खण्डों की संख्या 36 के स्थान पर 44 नियत करते हुए तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित सेशन खण्ड स्थापित कर निम्न प्रकार सेशन न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित सेशन खण्ड	सेशन न्यायालय का नाम	प्रादेशिक सीमा (राजस्व जिला)
1	2	3	4
1	फलौदी	सेशन न्यायालय, फलौदी	फलौदी
2	डीडवाना-कुचामन	सेशन न्यायालय, डीडवाना	डीडवाना-कुचामन
3	खैरथल-तिजारा	सेशन न्यायालय, खैरथल	खैरथल-तिजारा
4	ब्यावर	सेशन न्यायालय, ब्यावर	ब्यावर
5	बाड़मेर	सेशन न्यायालय, बाड़मेर	बाड़मेर
6	डीग	सेशन न्यायालय, डीग	डीग
7	कोटपूतली-बहरोड	सेशन न्यायालय, कोटपूतली	कोटपूतली-बहरोड
8	सलूमबर	सेशन न्यायालय, सलूमबर	सलूमबर

नोट- वर्तमान में सेशन खण्ड बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाड़मेर से बदलकर बालोतरा किया जाता है।

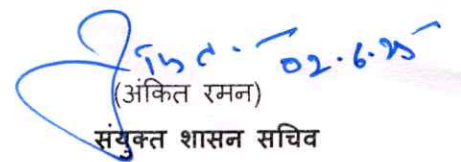
राज्यपाल के आदेश से,


(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी/डीडवाना-कुचामन/खैरथल-तिजारा/ब्यावर/बाड़मेर/डीग/कोटपूतली-बहरोड/सलूमबर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव